बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)
परिवहन परिसर फुलवारीशरीफ, पटना–800014
Phone No. 0612-2223527

बिहार सरकार

विज्ञापन संख्या– 03 दिनांक– 02.04.2025

बिहार–अन्तरराज्यीय के 04 मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन हेतु इच्छुक वाहन स्वामी/ उद्यमी/ संस्था/ कम्पनी कृप्या ध्यान दें।

बिहार–अन्तरराज्यीय के 04 मार्गों यथा पटना–गाजियाबाद, किशनगंज–गाजियाबाद, बक्सर–गाजियाबाद एवं नालंदा–गाजियाबाद मार्ग पर निगम के अधीन सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने एवं संचालन हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत वाहन स्वामियों से आवेदन आमंत्रित करता है। बिहार–अन्तरराज्यीय मार्गों की विवरणी, आवेदन प्रारूप एवं परिचालन की शर्त्तें परिवहन विभाग के वेवसाईट **www.state.bihar.gov.in/transport** पर देखी जा सकती है। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15.4.2025 को 03:00 बजे अपराह्न तक परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना में निर्धारित है।

प्रशासक

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)
परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना

बिहार–अन्तरराज्यीय के 04 मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन के इच्छुक वाहन स्वामी/ उद्यमी/ संस्था/ कम्पनी कृप्या ध्यान दें।

बिहार– अन्तरराज्यीय (बिहार–उत्तर प्रदेश) के 04 मार्गों पर निगम के अधीन सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत इच्छुक वाहन स्वामियों से निम्न 04 मार्गों पर बसों के परिचालन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है :–

बिहार– अन्तरराज्यीय (बिहार–उत्तरप्रदेश) मार्ग

क्रमांक	मार्ग का नाम	रिक्तियाँ
1	बक्सर–गाजियाबाद	04
2	किशनगंज–गाजियाबाद	04
3	नालंदा–गाजियाबाद	04
4	पटना–गाजियाबाद	04

लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा निम्न नियम एवं शर्तों पर वाहनों का एकरारनामा कर निगम के नियंत्रणाधीन बसों का परिचालन किया जाएगा:–

1. आवेदनकर्त्ता को आवेदन शुल्क के मद में 5,000/– का Demand Draft संलग्न करना होगा जो कि Non Refundable होगा। आवेदन के साथ EMD की राशि बिहार–उत्तर प्रदेश मार्गों के लिए 10,000/– प्रतिबस होगी।
2. आवेदन स्वीकृत नहीं होने पर EMD की राशि आवेदक को वापस कर दी जाएगी।
3. रिक्तियाँ नहीं होने पर संबंधित मार्ग के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. संबंधित आवेदक के द्वारा बिहार–उत्तर प्रदेश मार्गों के लिए कुल बैठान क्षमता का 06% (मात्र बिहार से खूलने वाली खेप का) की राशि निगम को देय होगा।
5. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क एवं EMD की राशि का ड्राफ्ट "Chief Account Officer B.S.R.T.C." Payable at Patna के नाम से देय होगा।
6. निविदादाता द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र I में ओभर राईटिंग स्वीकार्य नही होगा।
7. परिचालकों का चयन वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के निबंधन संख्या/चेसीस नं0/इंजन नं0, वाहन का मॉडल के आलोक में 06% निगम राजस्व प्रतिशत (यदि भविष्य में निगम के द्वारा किराया बढ़ाया जाएगा तो बढ़े हुए दर गणना कर निगम के खाते में जमा किया जाएगा) देने के आधार पर किया जायगा। निगम राजस्व की गणना बसों के कुल बैठान क्षमता x बिहार से खुलने वाली खेप का x भाड़ा

x निगम राजस्व 6% के आधार पर की जायगी। निगम राजस्व का प्रतिशत बिहार–उत्तर प्रदेश मार्गों पर मात्र बिहार से खुलने वाली खेप का 06% निगम राजस्व हिस्सेदारी राशि निगम को देय होगा।

8. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क ₹ 5,000/-तथा EMD के मद में बिहार–उत्तर प्रदेश के मार्ग पर प्रति बस ₹ 10,000/- EMD की राशि आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। आवेदन शुल्क एवं EMD राशि का Demand Draft **"Chief Account Officer B.S.R.T.C."** Payable at Patna, के नाम से जमा किया जायेगा। आवेदन के साथ EMD राशि का ड्राफ्ट नहीं रहने पर आवेदन मान्य नहीं होगा। असफल आवेदकों का EMD राशि लौटा दिया जायेगा। सफल आवेदकों का EMD राशि को Performance Guarantee के रूप में जमा कर लिया जायेगा।
9. वाहन स्वामी द्वारा आवेदन प्रपत्र I में अंकित पते पर निबंधित डाक से पत्राचार/नोटिस निर्गत किया जाएगा। निगम द्वारा निबंधित डाक से भेजा गया नोटिस वापस आने पर इसकी जिम्मेवारी निगम की नहीं होगी एवं नोटिस को पूर्ण माना जाएगा।
10. समिति द्वारा चयन किए गए वाहनों का एकरारनामा वाहन स्वामी को 01 माह के अन्दर करना होगा अन्यथा 15 दिनों का नोटिस पश्चात् आवेदनकर्त्ता का आवेदन अमान्य करते हुए उनके द्वारा जमा संबंधित मार्ग के वाहन का EMD राशि जप्त कर ली जाएगी एवं भविष्य में निगम द्वारा प्रकाशित निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
11. आवेदक को कहीं से भी काली सूची में नहीं डाले जाने एवं भारत के किसी भी न्यायालय से दिवालिया घोषित नहीं किए जाने का शपथ–पत्र।
12. किसी फर्म द्वारा आवेदन समर्पित किए जाने पर फर्म को निबंधित होने का प्रमाण–पत्र।
13. Individual आवेदक होने पर 18 वर्ष आयु से अधिक होने तथा भारत का नागरिक होने का प्रमाण–पत्र।
14. विहित प्रपत्र I में आवेदन, आवेदन शुल्क, EMD राशि एवं शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
15. बसों के परिचालन हेतु परिचालन की अवधि परमिट की अवधि से 05 वर्षों तक के लिए वैध होगा।
16. आवेदकों को आवेदन प्रपत्र I के साथ बिहार से निबंधित वाहन का निबंधन संख्या एवं वाहन का कागजात लगाना अनिवार्य है।
17. चयनित आवेदक को परमिट आवेदित करने से पूर्व अनुबंधित वाहन के आर0सी0 में संबंधित DTO से U/LA BSRTC कराना अनिवार्य होगा।
18. परमिट से संबंधित सभी शुल्क वाहन स्वामी द्वारा देय होगा।
19. वाहन स्वामी द्वारा MVI Act एवं सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
20. आवेदनकर्त्ता स्वयं या Power of Attorney पर वाहन का कागजात उपलब्ध करा सकते है। आवेदनकर्त्ता को पॉवर ऑफ एटर्नी का मुलप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
21. आवेदक को GST No से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराना आवश्यक है।

22. बसों का व्हील बेस 6000mm या उससे अधिक होगा। वाहन 12.00 M या उससे अधिक की वातानुकूलित बस होगी।

23. वाहन में मोबाईल चार्जर Point, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन द्वारा, GPS एवं VLTD होना आवश्यक है।

24. वाहन का मॉडल 2022 अथवा Latest होना चाहिए। Latest Model को प्राथमिकता दी जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा निर्गत सूचना अनुसार वाहन की आयु अनुसार संबंधित मार्ग का परमिट प्राप्ति हेतु वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी वाहन स्वामी/आवेदनकर्त्ता की होगी।

25. चयनित वाहन स्वामी द्वारा अन्य राज्य का उपलब्ध कराए गए वाहनों का बिहार राज्य में निबंधन 15 दिनों के अन्दर कराना आवश्यक होगा।

26. एकरारनामा पश्चात् परमिट प्राप्ति हेतु वाहन स्वामी को समय–सारणी, परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस अनुसार वाहन का मान्य कागजात एवं परमिट शुल्क निगम में 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा। परमिट स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन स्वामी को वाहन का मान्य कागजात, अधिभार शुल्क, पूर्व से यदि वाहन पर परमिट हो तो परमिट प्रत्यार्पण का शपथ पत्र, आदि 07 दिनों के अन्दर निगम में जमा करना होगा।

27. निगम द्वारा आवेदित मार्गों का STA से परमिट स्वीकृत होने के पश्चात् प्राप्त परमिट प्रतिहस्ताक्षर के बाद नियमानुसार वाहन स्वामी द्वारा वाहन का संचालन किया जाएगा।

28. आवेदक एक या एक से अधिक मार्ग के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को होगा।

29. किसी मार्ग पर चयनित आवेदनकर्त्ता द्वारा उपलब कराए गए वाहनों की संख्या कम रहने पर अन्य चयनित वाहन स्वामियों के वाहनो के साथ एकरारनामा करते हुए परमिट प्राप्त किया जाएगा।

30. निगम के साथ अनुबंधित वाहन स्वामी के वाहनों के विरूद्ध यदि अद्यतन माह तक निगम राजस्व बकाया है तो वैसे बकाएदारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

31. वाहनों के परिचालन से निगम राजस्व बकाया होने एवं उक्त बकाया राशि जमा नही करने या निगम के बस परिचालन में व्यवधान उत्पन्न किये जाने पर निगम द्वारा वाहन स्वामी को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया जाएगा। 02 माह के बकाया के विरूद्ध नोटिस के उपरांत बकाया जमा नही करने या व्यवधान नहीं हटाने पर वाहन स्वामी द्वारा जमा बैंक गारंटी/Performance Guarantee को जब्त करते हुए वाहन का परिचालन बंद कर एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा।

32. वाहन का परिचालन आदेश निर्गत करने के पश्चात् वाहन स्वामी को परिचालन की शर्त्त के क्रम संख्या 07 (निगम राजस्व की गणना बसों के कुल बैठान क्षमताxप्रति खेपx भाड़ाx निगम राजस्व प्रतिशत के आधार पर की जायगी) के अनुसार निगम को अग्रिम के रूप में 30 दिनों का राजस्व हिस्सेदारी वाहन परिचालन से पूर्व भुगतान करना होगा, साथ ही उक्त माह का निगम राजस्व की हिस्सेदारी माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा किया जाएगा। 30 दिनों का अग्रिम भुगतान पूरे माह के भुगतान के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा। अग्रिम भुगतान निगम के पास अनुबंध की अवधि तक सुरक्षित रहेगा।

33. बिहार राज्य में शराबबंदी कानून लागू है। इस परिपेक्ष्य में शराब बंदी का पालन संबंधित बस चालक एवं संवाहक को करना होगा। किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष अर्थात अनुबंधित वाहन स्वामी की होगी।

32. वाहन स्वामी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक निगम राजस्व हिस्सेदारी जमा किया जाएगा।

निगम को देय राशि द्वितीय पक्ष द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा की जाएगी। इसमें विफल रहने पर 0.3% (साधारण ब्याज की दर से) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क निगम को देय होगा। प्रतिदिन देय राशि का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा निगम को किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि अनुबंधित वाहन स्वामी को प्रतिमाह जमा की जाने वाली राशि का भुगतान ₹ 10,000/– किया जाना है एवं उनके द्वारा प्रतिमाह जमा/पूर्व का बकाया राशि जमा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विलम्ब शुल्क की गणना प्रतिदिन के आधार पर निम्नवत् है :–

माह	प्रतिमाह जमा की जानेवाली राशि	पूर्व का बकाया	पहला दिन	दूसरा दिन	तीसरा दिन	चौथ दिन	पॉचवा दिन	.... 30/31	कुल विलम्ब शुल्क की राशि (0.3%)
अप्रैल–2024	10000	10000	30	30	30	30	30	30	900
मई–2024	10000	20000	60	60	60	60	60	60	1860
जून–2024	10000	30000	90	90	90	90	90	90	2700
								कुल	5460

33. द्वितीय पक्ष द्वारा कोई भी राशि का भुगतान उपरोक्त माह में नहीं करने पर माह अप्रैल में विलम्ब शुल्क 900, मई में 1860 एवं जून में 2700 कुल 5460/– एवं पूर्व का बकाया निगम राजस्व 30,000/– देय होगा। पूर्व का बकाया राशि भुगतान नहीं करने तक विलम्ब शुल्क की गणना 0.3% के दर से प्रतिदिन के अनुसार आगे की माह में इसी प्रकार की जाएगी।

34. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन स्वामी द्वारा इसकी सूचना 24 घंटें के अंदर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

35. वाहन परिचालन नहीं होने पर संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, (संचालन) द्वारा जॉचकर प्रतिवेदन 24 घंटे के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

36. निगम द्वारा निर्धारित यात्री किराया ही यात्रियों से लेना होगा एवं टिकट उपलब्ध कराना होगा।

37. यात्री किराया से संबंधित तालिका ड्राईवर का नाम, मोबाईल नं0 एवं परमिट की वैधता बस के अन्दर एवं गेट पर अंकित करना होगा।

38. सभी प्रकार के कर, बीमा, रोड टैक्स, टॉल टैक्स, परमिट शुल्क, परमिट प्रतिहस्ताक्षर शुल्क आदि वाहन स्वामी द्वारा देय होगा एवं वाहन से संबंधित विवाद की सारी जिम्मेवारी वाहन स्वामी की होगी।

39. किसी माह में निगम राजस्व जमा नहीं करने पर क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (संचालन) द्वारा निबंधित डाक से पत्राचार/नोटिस निम्नवत् तालिका अनुसार निर्गत करते हुए इसकी सूचना/प्रतिलिपि मुख्यालय को भी दी जाएगी।

दिनांक	नोटिस	कार्रवाई
माह की 10वीं तारीख	15 दिनों का प्रथम नोटिस	बकाया निगम राजस्व जमा नहीं करने पर 15 दिनों का प्रथम नोटिस निर्गत किया जाएगा।
माह की 26वीं तारीख	15 दिनों का द्वितीय नोटिस	प्रथम नोटिस के उपरान्त भी निगम राजस्व भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बैंक गारंटी जब्त करने एवं वाहन का परिचालन बंद करने के संबंध में 15 दिनों का द्वितीय नोटिस निर्गत किया जाएगा।
अगले माह की 11 वीं तारीख	15 दिनों का तृतीय अंतिम नोटिस	द्वितीय नोटिस के उपरान्त भी निगम राजस्व भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बैंक गारंटी जब्त, वाहन का परिचालन बंद करते हुए एकरारनामा रद्द हेतु 15 दिनों का नोटिस निर्गत किया जाएगा।
		तृतीय नोटिस के उपरान्त भी बकाया जमा नहीं करने पर वाहन स्वामी का संबंधित मार्ग एवं बस का एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा।

40. वाहन के रख–रखाव (Maintenance) के लिए एक माह में तीन दिनों का मरम्मति छूट दिया जाएगा। उक्त तीन दिनों का निगम राजस्व की गणना नहीं की जाएगी।

41. आर0सी0 एवं बस में उपलब्ध सीट का Alteration पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एकरारनामा रद्द कर परमिट प्रत्यार्पण कर दी जाएगी। बसों के सीट का सत्यापन संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

42. परमिट प्राप्ति पश्चात् एवं वाहन परिचालन आदेश से पूर्व वाहन स्वामी को प्रतिबस 01 लाख का बैंक गारंटी/फिक्स डिपोजिट निगम में जमा करना होगा जो कि Chief Account Officer B.S.R.T.C., Patna के नाम से Pledge होगा।

चयन की प्रक्रिया :–

43. आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर चयन की प्रक्रिया निम्नवत् है:–

(i) आवेदनकर्त्ता द्वारा आवेदित वाहनों का चयन प्राप्त आवेदनों की तिथि एवं उपलब्ध रिक्तियॉ के अनुसार किया जाएगा।

(ii) किसी भी मार्ग पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वाहन का मॉडल– (03 अंक), उपलब्ध सुविधा– (02 अंक), पूर्व अनुबंधित वाहन स्वामी–(02 अंक) एवं बैठान क्षमता–(03 अंक) के आधार पर समिति द्वारा मेधा सूची अनुसार किया जायेगा।

(iii) क्रमांक (ii) में अंकित सभी बिन्दु समान होने पर लॉटरी के माध्यम से वाहनों का चयन किया जाएगा।

आवेदनों का समर्पणः–

44. आवेदनकर्त्ता दिनांक 15.4.25 को 03:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित आवेदन शुल्क एवं EMD के साथ परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ पटना में आवेदन जमा कर सकते है। बिहार–उत्तर प्रदेश मार्ग पर आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क ₹ 5,000/– एवं EMD प्रति बस ₹ 10,000/– की राशि Demand Draft"**Chief Account Officer B.S.R.T.C**." Payable at Patna, के पदनाम से पटना स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर भुगतेय होगा। आवेदन प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना–800014 बिहार, के पते पर अथवा स्वयं कार्यालय में जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इच्छुक आवेदक इस विषय में जानकारी के लिए दूरभाष संख्या–0612-2223527 पर किसी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते है।

01/04/25

संचालन मुख्य

01.4.25

प्रशासक

आवेदन प्रपत्र I विज्ञापन सं०- 03, दिनांक- 02.04.2025

लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत अन्तरराज्यीय मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन बसों के परिचालन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक का फोटो

1. आवेदक का नाम :- ....
2. पिता का नाम :- ....
3. पत्राचार का पता :- ....
....
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या / मोबाईल नं0:- ....Alternate No. ....
5. Whatsapp no :-
6. e-mail/ .... GST No..
7. कुल आवेदित बसों की संख्या:-........ 8. निगम राजस्व प्रतिशत – 06% (मात्र बिहार से खुलने वाली खेप का)
9. निविदा शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) की विवरणी:
राशि 5,000/-, बैंक का नाम ....
ड्राफ्ट नं0.., दिनांक ....
10. EMD डिमांड ड्राफ्ट की विवरणी: (अन्तरराज्यीय मार्ग पर प्रतिबस ₹ 10,000/-)
राशि ...., बैंक का नाम ....
ड्राफ्ट नं0.., दिनांक ....
11. कुल EMD की राशि : ....

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	बसों की संख्या	वाहन का निबंधन संख्या / चेचीस नं0 / इंजन नं0।

नोट :- बसों का अद्यतन कागजात, आवेदक का फोटो, आवेदन शुल्क, EMD राशि का ड्राफ्ट, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक एक या एक से अधिक मार्ग पर भी आवेदन कर सकते है।

आवेदन की तिथि

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन प्रपत्र I दिनांक–.............................

लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत अन्तरराज्यीय मार्ग पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के नियंत्रणाधीन बसों के परिचालन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक का फोटो

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. पत्राचार का पता :– ....
....
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या / मोबाईल नं0:– ....Alternate No. ....
5. Whatsapp no :-
6. e-mail/ .... GST No...
7. कुल आवेदित बसों की संख्या:–..8. निगम राजस्व प्रतिशत – 06% (बिहार के घूमने वाली क्षेत्र का मात्र)
9. निविदा शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) की विवरणी:
राशि 5,000 / –, बैंक का नाम ....
ड्राफ्ट नं0..., दिनांक ....
10. EMD डिमांड ड्राफ्ट की विवरणी: (अन्तरराज्यीय मार्ग पर प्रतिबस ₹ 10,000 / –)
राशि ...., बैंक का नाम ....
ड्राफ्ट नं0..., दिनांक ....
11. कुल EMD की राशि : ....

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	बसों की संख्या	वाहन का निबंधन संख्या / वेचीस नं0 / इंजन नं0

नोट :– बसों का अद्यतन कागजात, आवेदक का फोटो, आवेदन शुल्क, EMD राशि का ड्राफ्ट, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक एक या एक से अधिक मार्ग पर भी आवेदन कर सकते है।

आवेदन की तिथि

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

शपथ पत्र

मैं ...., पिता–...,
ग्राम–..., पो0–...थाना–...,
जिला–......................................, पिन नं0–.. मो0–...

शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि :–

1. यह कि उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मेरा उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
3. यह कि मेरा आधार नं0–...है।
4. यह कि वाहन संख्या–...
   ....मेरे नाम से निबंधित है/ पावर ऑफ एटर्नी अंतर्गत है।
5. यह कि आवेदित गाडी स्पेयर/पूर्व परमिट से आवृत है।
6. यह कि परमिट प्राप्ति हेतु परिवहन विभाग द्वारा आयु से संबंधित निर्गत नोटिस अनुसार आवेदक द्वारा अपने से नाम से निबंधित /पॉवर ऑफ एटर्नी पर वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
7. यह कि आवेदित गाड़ी का STA एवं RTA से अस्थायी एवं स्थायी परमिट निर्गत है/नहीं है।
8. यह कि मैं निगम के साथ पूर्व से अनुबंधित हूँ/नही हूँ एंव आवेदित गाड़ी का निगम के नाम से पूर्व से परमिट प्राप्त है/नहीं है।
9. यह कि कही से भी काली सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है।
10. यह कि किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हूँ और नही मेरे उपर कोई केस मुकदमा है।
11. यह कि मेरे द्वारा 01 माह के अन्दर बसों का निबंधन संख्या से संबंधित सभी कागजात परमिट आवेदित करने हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा।
12. यह कि मेरे द्वारा जो भी कागजात जमा किया जा रहा है वह सही एंव सत्य है। किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर मेरा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

यह कि उपरोक्त वर्णित सारी बातें मेरे जानकारी में सही एवं सत्य है।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर